

## नियम एवं शर्ते

1. सदस्यता शुल्क (वार्षिक-1100/- रूपये मात्र एवं आजीवन 5100/- रूपये मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा नगद से ही दे।
2. परिचय पत्र या मनोनयन पत्र खो जाने पर उसकी सूचना तुरन्त पुलिस को व संस्था के कार्यालय में दें।
3. सदस्यता आवेदन फार्म में की गई गलत/अपूर्ण घोषणा के लिए सदस्य स्वयं जिम्मेदार होंगे, जिसके लिए उनके विरुद्ध निष्काशन/आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
4. अपराधिक गतिविधियों में अथवा संगठन संविधान तथा नियमावली के विपरीत आचरण या अनुशासनहीनता किये जाने पर पद एवं सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।
5. किसी अन्य समान्तर/संगठन की सदस्यता निषिद्ध है।
6. जमा की गयी सदस्यता राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी और न ही समायोजित होगी।
7. समिति की समाप्ति पर अथवा संगठन से हटाने पर परिचय पत्र लौटाना आवश्यक है।
8. यह पद पूर्णतया निस्वार्थ एवं मानदेयी है। किसी भी प्रकार के वेतन / सेवा प्रतिफल की अपेक्षा कृपया न करें।
9. मनोनयन प्राप्ति के अपरान्त इसकी सत्यता की जाँच संगठन की वेबसाइट अथवा प्रधानकार्यालय से की जा सकती है। प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त निर्गत मनोनयन पत्र/परिचय पत्र अवैध होंगे। जिनकी सूचना कृपया प्रशासन को देंगे।
10. संस्था की नीति का भलिभाँति पालन करना होगा।
11. पद या पहचान पत्र का दुरुपयोग करने पर उचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
12. निर्धारित सदस्यता शुल्क (वार्षिक-1100/- रूपये मात्र एवं आजीवन-5100/- रूपये मात्र) से अधिक भुगतान कदापि न करें।
13. यदि कोई पदाधिकारी अधिक शुल्क मागता है तो उसकी शिकायत राष्ट्रीय कार्यालय या उच्च पदाधिकारी से तुरन्त करें।
14. आपको समाज की सेवा के लिए सदैव तैयार रहना होगा।
15. शासन/प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा।
16. हमेशा सच्चाई का साथ देना होगा।
17. मनोनयन प्रक्रिया में 30 दिन से लेकर 45 दिन तक का समय लग सकता है।
18. सभी समक्ष कार्यालय की रिपोर्ट एवं संस्तुति होने पर ही मनोनयन प्रक्रिया हो सकेगी।
19. किसी भी रिपोर्ट/संस्तुति या पद पर सहमति न होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्वयं अपना निर्णय ले सकती है।
20. राष्ट्रीय कार्यकारिणी अपने सभी अधिकार सुरक्षित रखती है।
21. पदाधिकारी को पदोन्नति उसकी सम्बन्धित कार्यालय रिपोर्ट के आधार पर की जायेगी।
22. सभी अध्यक्षों को अपने कार्यालय की मासिक रिपोर्ट माह के पहले सप्ताह में अपने उच्चपदाधिकारी को सौपनी होगी।
23. सभी अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ महीने में एक मीटिंग अवश्य करेंगे उस मीटिंग की सूचना सभी कार्यकर्ताओं को 7 दिन पहले लिखित अथवा मोबाइल से देनी होगी।
24. मीटिंग में अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण लिखित रूप में कार्यालय में देना होगा।



आवेदक के बाँये अगूँठे का निशान

हस्ताक्षर आवेदक